

कार्यालय आदेश

प्रायः देखने में आया है कि विभाग के कई अधिकारी/कर्मचारी अवकाश व्यतीत करने उपरान्त अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आवेदन पत्र भी नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। विभाग द्वारा समय-समय पर इनसे सम्बन्धित निर्देश जारी करने के बाद भी अधिकारी/कर्मचारी नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत नहीं करते। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 दिनांक 19-07-2016 से लागू कर दिये गये हैं। अतः सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने आवेदन इन नियमों अनुसार करेंगे। हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 वित्त विभाग हरियाणा की website www.finhrly.gov.in पर उपलब्ध हैं। भविष्य में आवेदन पत्र नियमानुसार प्रस्तुत न करने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा एवं पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक पंचकूला
1 सितम्बर, 2016

जगबीर सिंह,
निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय
विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

पृष्ठाकंन क्रमांक ००सं०वि०वि०(स्था-९)-२०१६ / १९२७७-१९३७। दिनांक : ०७-०९-२०१६
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस बारे अवगत करने हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक ।/॥
2. संयुक्त निदेशक ।/॥
3. आदान तथा वितरण अधिकारी
4. सभी उप निदेशक
5. सभी अनुसंधान अधिकारी
6. सभी जिला सांख्यान अधिकारी/योजना अधिकारी
7. अनुसंधान अधिकारी (आई०टी०) विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. लेखा अधिकारी
9. उप अधीक्षक—
10. निजी सहायक (निदेशक)
11. सभी सहायक


उप निदेशक (प्रशासा)
कृते: निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय
विश्लेषण विभाग, हरियाणा 